उत्तर प्रदेश सरकार
कर एवं निबंधन अनुभाग –5
संख्या–3066/11–5–2009–500(100)/2008
लखनऊ, दिनांक 12 जून, 2009
अधिसूचना

(कर एवं निबंधन अनुभाग –5 की संशोधन अधिसूचना संख्या –क0नि05–5955/11–2009–500(100)/2008, लखनऊ, दिनांक 26 अक्टूबर, 2009 को समायोजित करते हुए)

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम सं0 –10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदे ा में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में समय–समय पर यथा सं ाोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम सं0–2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन भाक्ति का प्रयोग करके सरकारी अधिसूचनाओं सं0–क0नि05–2757/11–2008–500 (35)/2000, दिनांक 09 जुलाई, 2008 व संख्या–क0नि05–3084/11–2008–500(35)/2000, दिनांक 09 जुलाई, 2008 का अधिक्रमण करके राज्यपाल इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाि ात होने के दिनांक से समस्त सरकारी विभागों एवं उनके अधीन कार्यरत संगठनों चाहे सरकारी हो या अर्धसरकारी (यथा उत्तर प्रदे ा राश्ट्रपति अधिनियम (परिश्कारों सहित पुनः अधिनियगन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदे ा अधिनियम सं0 30 सन् 1974) द्वारा परिश्कारों सहित पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदे ा नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (उत्तर प्रदे ा अधिनियम सं0–11 सन् 1973) के अधीन गठित विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदे ा औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदे ा अधिनियम सं0–6 सन् 1976) के अधीन गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदे ा आवास एवं विकास परिशद् अधिनियम, 1965 (उत्तर प्रदे ा अधिनियम सं0–1 सन् 1966) के अधीन स्थापित उत्तर प्रदे ा आवास एवं विकास परिशद्, कम्पनी अधिनियम, 1956 (अधिनियम संख्या–1 सन् 1956) के अधीन रजिस्ट्रीकृत उत्तर प्रदे ा राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदे ा कृशि उत्पादन मंडी अधिनियम, 1964 (अधिनियम सं0–25 सन् 1964) के अधीन गठित उत्तर प्रदे ा कृशि उत्पादन मंडी परिशद् और सोसाएटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या–21 सन् 1860) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सूडा एवं उत्तर प्रदे ा क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदे ा अधिनियम संख्या–43 सन् 1961) के अधीन गठित जिला पंचायत, उत्तर प्रदे ा नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदे ा अधिनियम संख्या–2 सन् 1959) अथवा उत्तर प्रदे ा नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदे ा अधिनियम संख्या–2 सन् 1916) के अधीन गठित स्थानीय निकाय से संबंधित एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदे ा सरकार के नियंत्रणाधीन एवं उद्योग निदे ाालय द्वारा प्र ाासित औद्योगिक आस्थानों) की स्थावर सम्पत्ति को किसी आवंटिती के पक्ष में आंवटन पत्र के दिनांक से छः माह की अवधि के भीतर उनके द्वारा निश्पादित हस्तान्तरण पत्र/पट्टा के लिखत पर 1899 के उक्त अधिनियम की अनुसूची 1–ख के अनुच्छेद–23 के खण्ड (क) व अनुच्छेद–35 के खण्ड (क) उपखण्ड (vi) खण्ड (ii) और खण्ड (ग) के उपखण्ड (ii) के अधीन प्रभार्य भाुल्क पट्टा में दिये गये रकम के बराबर के प्रतिफल की धनराि ा से अधिक की धनराि ा पर प्रभार्य भाुल्क की सीमा तक छूट प्रदान करते है :–

''परन्तु यह और कि स्टाम्प भुल्क की उपर्युक्त छूट उन आवंटियों को भी उपलब्ध होगी जो आवंटित अचल सम्पत्ति के संबंध में उपर्युक्त सरकारी/अर्द्धसरकारी संस्था के साथ विक्रय या पट्टा करने का करार उक्त सम्पत्ति के आवंटन पत्र के दिनांक से छः माह के भीतर किया हो। इस प्रकार भुगतान किये गये स्टाम्प भुल्क का समायोजन अन्तरण पत्र/पट्टा के निश्पादन के समय किया जायेगा। यदि अन्तरण पत्र/पट्टा के निश्पादन के समय संस्थाएं आवंटित अचल सम्पत्ति में कोई सं ोधन या परिवर्तन करती हैं, तो स्टाम्प भुल्क का समायोजन अनुमन्य होगा।

ऐसी वि ोश परिस्थितियों में जो आवंटी के नियंत्रण से बाहर हो तो इस अवधि को कर एवं निबंधन विभाग द्वारा एक वर्श के लिए बढ़ाया जा सकेगा।

ऐसे पुराने आवंटिती जिनके पक्ष में अन्तरण/पट्टा/विक्रय अनुबंध/पट्टा अनुबंध निश्पादित नहीं किया गया है, इस अधिसूचना के अधीन छूट का लाभ उठा सकते हैं, यदि अन्तरण/पट्टा/विक्रय अनुबंध/पट्टा अनुबंध अधिसूचना के दिनांक से छः माह की उक्त अवधि के भीतर उनके पक्ष में निश्पादित करा लिया जाए। अन्यथा वे आवंटित सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर स्टाम्प भुल्क का भुगतान करने के दायी होंगे।

आज्ञा से,

(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव